

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक प 12(3)वित्त/अंकेक्षण/2017

जयपुर, दिनांक 08-06-2020


समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
संयुक्त शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।

विषय अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने वास्तु।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19/09/2019 के माध्यम से अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर में अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे परन्तु अधिकांश विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करके नवीनतम सूचना से जन लेखा समिति, राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उनके नाम, पदनाम, उनके कार्यालय, आवास एवं मोबाइल नं. आदि की जानकारी जन लेखा समिति, राजस्थान विधानसभा प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को प्रेषित की जावे। नोडल अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में नोडल अधिकारी का चार्ज संभलवाया जावे तथा उसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को भी प्रेषित की जावे। ये नोडल अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारियों की सूची अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसको समय-समय पर अद्यतन करते रहेंगे। जिन विभागों में पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी है तथा उस सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है उन्हें पुनः सूचना भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय, ।



(निर्दिष्ट जायी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

Cor. 3
मुजरा
25.6.2020

प्रतिनिधि निर्मातृलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 2 प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 3 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 4 निर्देशक बजट/समस्त संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, वित्त विभाग।
- 5 तकनीकी निर्देशक, वित्त कंप्यूटर सैल विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

FA
14/6/2020
2571
25-6-2020


संयुक्त शासन सचिव


Nodal अधिकारी PAC के आदेश पर प्रेषित कर लेज है
कि ACS (वि) महापत्र के निर्देशों की पालना में वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
25.6.2020

राजस्थान सरकारनिदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।कार्यालय आदेश

श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर को जनलेखा समिति एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अंकेक्षण आक्षेपों सीएजी/पीएसी प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर के दुरभाष न० निम्न प्रकार है:-

1. कार्यालय न०:- 0294-2414072
2. मोबाईल न०:- 9414165247


(गौरव गोयल)IAS
निदेशक

खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

कमांक:- निदे/प.13/ग्रुप-3/नोडल अधिकारी/2020/2274-2276दिनांक 27.02.2020

- 1) संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस सन्दर्भ में शासन स्तर से वित्त विभाग, जनलेखा समिति एवं महालेखाकार जयपुर को सूचित कराने का कष्ट करावें।
- 2) श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर।
- 3) श्री एन.के.कोठारी, अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय, के.का.उदयपुर।

निदेशक